

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :- हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या - 113/2016/223 आर टी ए

1. लादूराम पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ ।
2. मूलाराम उर्फ मूलचंद पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ ।
3. गणपतराम पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ ।

--- अपीलांत

बनाम

1. किरसन पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ ।
2. देवीलाल पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ ।

--- रेस्पोंडेंट्स

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2015 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा प्र०सं० 96/2014 अनवानी किरसन आदि बनाम लादूराम आदि उपस्थित :-

श्री हवासिह पूनियां अधिवक्ता अपीलांत

श्री विजयससिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पोंड सं० 1 व 2

श्री कुलदीप बैनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंड सं. 3

निर्णय

दिनांक:-27.11.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पोंड सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीए प्रस्तुत किया, जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की जाकर रेस्पोंड का वादपत्र स्वीकार कर डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरुद्ध तथा न्यायिक सिद्धांतों के खिलाफ है। प्रतिवादी सं. 2 नोटिस प्राप्त होने पर अदालत मे स्वयं उपस्थित आया तब बताया गया कि खाता विभाजन का नक्शा बनकर आएगा तब आपको सूचना देंगे लेकिन विचारण न्यायालय ने कोई सूचना नहीं दी

एवं प्रतिवादी सं. 1 व 3 को विधिवत रूप तामील नहीं हुई। उसके बावजूद भी एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर दिनांक 05.12.2014 को दावा प्राथमिक डिक्री कर दिया कानूनन किसी प्रकार का निर्णय पारित करने से पूर्व प्रभावित पक्षकार को सुनवायी का अवसर दिया जाना आवश्यक है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय प्रतिवादीगण को कोई सूचना व नोटिस नहीं दिया एवं ना ही विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय में सुनवायी का अवसर दिया कानूनन विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। वादीगण ने अपने बंटवारा में मु.न. 17 के कि.न. 3 व 8 की 15 बिस्व भूमि दर्ज की है वह वादीगण के कब्जा काश्त में कभी नहीं रही। वादीगण को मु.न. 18 के कि.न. 22 की 15 बिस्वा भूमि बंटवारा में प्राप्त हुई एवं यही भूमि कब्जा काश्त में है। मु०न० 17 के कि.न. 1 ता 5, मु.न. 18 के कि.न. 1 ता 5, मु.न. 19 के कि.न. 1 ता 5 के उत्तरी साईड में पूर्व से पश्चिम नेटराना से बरवाली का रास्ता है मौके पर अपीलांटस को अपनी बंटवारा में प्राप्त भूमि में जाने के लिए मु.न. 17 के कि.न. 4 व 7 में से उत्तर से दक्षिण पश्चिमी साईड में रास्ता है जो विभाजन प्रस्ताव एवं निर्णय में नहीं आया है इसलिए विभाजन प्रस्ताव मुताबिक कब्जा काश्त भी नहीं है। अधिवक्ता अपीलांट के बहस के अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपीलाधीन प्रकरण में अपीलांट की तामिल करवाई गई बावजूद तामील अपीलांट उपस्थित न आने के कारण इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दावा प्राथमिक डिक्री किया गया। तदनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। प्रकरण में अन्य कोई विरोधाभास नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर रेस्पोंडेंट का वाद

डिक्री किया गया है जो सही एवं विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंस सं. 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।
6. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। अपीलाण्ट के कथनानुसार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि की खाता विभाजन की डिक्री पारित की गई। जिसमें ना तो अपीलाण्ट की तामील करवाई की गई और ना ही विभाजन प्रस्ताव हेतु अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया बल्कि अपीलाण्ट की समुचित तामील करवाये बिना एकतरफा तौर अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया गया है। इस प्रकार यह साबित होता है कि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य एवं सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर प्राप्त नहीं हुआ एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री पारित की गयी है तथा साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं हो पाई है। जबकि विभाजन के वाद में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए समस्त सहखातेदारान की उपस्थिति में समस्त सहखातेदारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।
7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री

दिनांक 14.03.2015 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 में विहित प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करते हुए विभाजन हेतु अन्तिम डिक्री पारित करें। विभाजन प्रस्ताव हेतु मौका निरीक्षण की तिथि के संबंध में तहसीलदार उभय पक्ष को विधिवत रूप से सूचित कर उभय पक्ष की उपस्थिति में मौका निरीक्षण कर नियम 18 ता 21 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहखातेदारान की आपत्तियों/आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण करते हुये विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.12.2017 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बड़जलास हरभान मीणा आर०ए०एस०
अपील संख्या – 118/2012/223 आर टी ए

1. बिशन सिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी छापोली तहसील उदयपुरा बाटी जिला झुन्झनू।

— अपीलांट

बनाम

1. मु० सुशीला कंवर बेवा महेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।
2. राजवीर सिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।
3. भवानी सिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।
4. मु० रेखा कंवर पुत्री महेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।
5. मु० पुनम कंवर पुत्री महेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।
6. महीपालसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी छापोली तहसील उदयपुरा वाटी जिला झुन्झनू राज०।
7. ओमवीर सिंह पुत्र गिरवारसिंह जाति राजपूत निवासी छापोली तहसील उदयपुरा वाटी जिला झुन्झनू राज०।

— रेस्पोंडेंट

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 02.07.2010 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर प्र०सं० 191/2007 अनवानी सुशीला आदि बनाम महीपालसिंह आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट व श्री हवासिंह अधिवक्ता रेस्पोंडेंट सं० 1 ता 5 की ओर से पेश होकर हुकम हुआ है कि अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 02.07.2010 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 03.07.2017 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़